तिथि	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत बहादुरसर मुकदमा नं. 52/2016 उनवान कान सिंह बनाम मदन सिंह वगैरह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.	
01.06.2018	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम ग्राम पंचायत बहादुरसर मे पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। न्यायालय के विवेक पर पत्रावली लोक अदालत मे ली जाकर अवलोकन किया गया। इस न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25.05.2016 के द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थना-पत्र मे विवादित भूमि बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश का निस्तारण एक माह में किया जाना आवश्यक होता है। चूंकि इस प्रार्थना-पत्र मे किसी भी पक्षकार का हक हिस्सा तय नही होता है। इसलिए इस प्रार्थना-पत्र में न्यायालय द्वारा पारित आदेश गलत हो या सही इसका निस्तारण प्रार्थना-पत्र से संबंधित मूल वाद में वाद विधिक प्रक्रिया के पश्चात पक्षकारो का हक हिस्सा तय किया जाता है। ऐसी स्थिति मे यह अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश ता: फैसला दावा तक बढ़ाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ता: फैसला दावा तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (अल्पना, त्रिपाठी) उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू	

Scanned by CamScanner